5/5/25 अधिवक्ता श्री गोवर्धन सिंह के प्रार्थनापत्र 3216 की ओर से वकालतनामा व जवाब दावा के बिन्दु पर अन्तिम निर्णय। निर्णय वादिनी के नामांतरण करने हेतु दिनांक 27.6.25 को पेश है।

27/6/25

प्रस्ताव के कारण पत्रावली दूसरे आदेश की पालना में दिनांक 5/8/25 को पेश हो।

आदेशानुसार

रीडर

आज 185/24

25/7/25

वकील श्री शिवचरण सिंह के वादी की ओर से वकालतनामा पेश कर प्रा. पत्र वादिनी पत्रावली तलब करने का पेश किया। वकील वादी ने निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है। प्रकरण के संबंध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। पत्रावली तलब की गयी थी लेकिन पक्षकारान उपस्थित नहीं होने के कारण राजीनामा तामील नहीं [illegible] वादी को निवेदन पर [illegible] जाता है। पत्रावली चालान हो। नामांतरण के बाद है व काबिल बयान है।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 15:58:39 IST
Reason: SelfAttested